

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) - जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 209/2020
3. उनवान : सरकार जरिये भागचन्द बैरवा, प्रवर्तन अधिकारी
बनाम
 1. मैसर्स पण्डित गैस सर्विस, आई0ओ0सी0 डीलर, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
 2. श्री ओमप्रकाश शर्मा, डिलीवरी मैन, पण्डित गैस सर्विस, जयपुर।
 3. श्रीमती सुमित्रा, पण्डित गैस सर्विस, प्रोपराइटर।
4. निर्णय दिनांक : 26/12/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर भागचन्द बैरवा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 31-01-2002 को श्री हनुमान सहाय शर्मा, निरीक्षक विधिक माप विज्ञान जयपुर एवं श्री रवि शर्मा एवं श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड प्रवर्तन निरीक्षकों के मैसर्स पण्डित गैस सर्विस संसार चन्द्र रोड, जयपुर के गोपीनाथ मार्ग, भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के पास डिलीवरी देने हेतु भण्डारण घरेलू उपयोग के भरे हुये एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों की जांच श्री ओमप्रकाश शर्मा डिलीवरी मैन एवं गवाहों की मौजूदगी में की गई। मौके पर कुल 84 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल0पी0जी0 के भरे हुये पाये गये। जिनका का तौल किया गया तो 20 गैस सिलेण्डरों में निर्धारित मात्रा 14.2 किग्रा. से कम गैस पायी गई। ऐसी स्थिति में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में पाये गये 20 भरे हुये सिलेण्डर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने एवं कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मय 277.84 किग्रा. जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रकरण में अप्रार्थी पण्डित गैस सर्विस की प्रोपराइटर श्री सुमित्रा पंडित की ओर से पूर्व में दिनांक 02.07.2002 को जवाब पेश किया था जिसमें अंकित किया गया था कि उस दिन इनका गोदाम इंचार्ज इंडियन ऑयल प्लांट पर डिमाण्ड ड्राफ्ट देने चला गया था और समय पर नहीं पहुंच सका। इसलिए जो वाहन सिलेण्डर शहर में लाते हैं। उन्होंने प्लांट से आये हुए ट्रक में से माल बगैर तुलवाये ही भर लिया और शहर में सप्लाई लेकर चले गये। इसलिये इस गलती पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निवेदन किया है। भविष्य में जारी दिशा निर्देशों के तहत सख्ती से पालना की जावेगी और वैसे भी यह कम्पनी की जिम्मेदारी का मामला है। उक्त कृष के पीछे अप्रार्थी की कोई बदनियती नहीं रही है।

प्रकरण में दिनांक 28.10.2002 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने निर्णय पारित कर जब्त माल को राजसात करने का आदेश दिया। तत्पश्चात अपील में दिनांक 20.11.2003 को माननीय विशेष न्यायालय, जाली नोट प्रकरण, जयपुर नगर, जयपुर ने निर्णय पारित कर अपीलस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.2002 को अपारत कर प्रकरण रिमाण्ड कर प्रकरण में कथित गैस



अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

सिलेण्डरों की सील का पुख्ता होना व बखूबी होते हुए इसमें से गैस को निकाले जाने की स्थिति, परिवहन में गैस रिसाव होने या नहीं होने की संभावना आदि की जांच करने के बाद ही पुनः आदेश पारित करने का आदेश दिया। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रूप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश दत्त शर्मा ने उपस्थिति दी। तत्पश्चात प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार सिलेण्डरों की सील के पुख्ता होने व परिवहन में गैस रिसाव की संभावना की वस्तु स्थिती से अवगत कराने और न्यायालय में उपस्थित होने के लिए प्रबन्धक मार्केटिंग, इण्डियन ऑयल, जयपुर को बारम्बार पत्र लिखा गया। साथ ही अनेकों बार दूरभाष पर भी सूचित किया। परन्तु आज दिनांक तक ना तो प्रबन्धक मार्केटिंग, इण्डियन ऑयल, जयपुर न्यायालय में उपस्थित हुए ना ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और ना ही इस संबंध में कोई प्रत्युत्तर इस न्यायालय में पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वर्ष 2003 (21 वर्ष से) से आईओसी की तलबी से पत्रावली लम्बित है। अतः पत्रावली को और लम्बित रखा जाना उचित नहीं समझते। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 26/12/2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हमने माननीय विशेष न्यायालय, जाली नोट प्रकरण, जयपुर नगर, जयपुर के निर्णय दिनांक 20/11/2003 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन कम्पनी के हैं। इनके परिवहन के दौरान गैस लीक के सम्बन्ध में रिपोर्ट हेतु कम्पनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा आईओसी के प्रतिनिधि की तलबी हेतु अनकों प्रयास किये गये परन्तु उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि प्रकरण के संबंध में अप्रार्थी पण्डित गैस एजेन्सी को सिलेण्डरों के परिवहन के दौरान कम वजन के होने की संभावना होने का लाभ माननीय विशेष न्यायालय, जाली नोट प्रकरण, जयपुर नगर, जयपुर ने देते हुए पुनः सील के पुख्ता होना, परिवहन के दौरान गैस का रिसाव होने की जांच कर पुनः सुनवाई कर इस न्यायालय को नियमानुसार आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिये थे। जांच सम्बन्धित कार्यवाही हेतु अप्रार्थी पण्डित गैस एजेन्सी का भी दायित्व था कि वह आईओसी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर उन्हीं के संरक्षण में सुरक्षित रखवाये गये जब्तशुदा सिलेण्डरों की उपरोक्तानुसार जांच रिपोर्ट पेश करवाते अथवा आईओसी के प्रतिनिधि को न्यायालय में उपस्थिति के लिए प्रयास करते किन्तु अप्रार्थी पण्डित गैस एजेन्सी की ओर से कोई प्रयास नहीं किये गये। जिससे प्रकरण के निस्तारण के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की भी शिथिलता जाहिर होती है। ऐसे में जब्तशुदा 20 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय गैस 277.84 किग्रा. को राजसात किया जाता है। अतः जिला रसद अधिकारी, जयपुर को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त जब्तशुदा सामग्री 20 एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर मय 277.84 किग्रा. को विधिवत अन्तिम निस्तारण किया जावे तथा निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुन्तल विशनोई)
अति, जिला, कलकत्ता एवं
जिला, गुजरात एवं (राज्यीय)
जयपुर